

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:—160/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/160)

1. बाबूलाल पुत्र सुवाराम जाति बलाई निवासी—किशनपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांत

बनाम

1. महेश कुमार रैगर पुत्र गोरधन लाल रैगर जाति रैगर निवासी रैगरों का मौहल्ला वार्ड नम्बर 14 बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. भगवान सहाय पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी—महिन्द्र सेज ग्राम भंभोरिया पालडी तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. कैलाश बैरवा पुत्र श्री नानगराम बैरवा जाति बैरवा निवासी जयजसपुरा तन अजयराजपुरा, जयपुर जिला जयपुर।
4. आर्यन निर्मल पुत्र श्री महेश कुमार जाति रैगर निवासी—रैगरों का मौहल्ला, बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. रामावतार बैरवा पुत्र श्री नानगराम बैरवा जाति बैरवा निवासी—जयजसपुरा तन अजयराजपुरा, जयपुर जिला जयपुर।
6. सूरजमल रेशवाल पुत्र श्री नानगराम रेशवाल जाति बैरवा निवासी—जयजसपुरा तन अजयराजपुरा, जयपुर जिला जयपुर।
7. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.12.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद, राजस्व वाद संख्या 136/2024

उपस्थित:—

1. श्री वी0एस0खंगारोत अभिभाषक अपीलांत
2. श्री शिशिर विजयवर्गीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1
3. श्री रूपक शर्मा, अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 6
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 7

निर्णय

दिनांक:—26.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 136/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.12.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा एक वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.9.2024 को प्रस्तुत किया गया जो दावा संख्या 136/2024 के रूप में दर्ज किया गया। दिनांक 7.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब दावा प्रस्तुत किया, प्रार्थी की तामील बाबत न्यायालय द्वारा यह लिखा गया कि प्रतिवादी संख्या 6 की तामील ट्रेक रिपोर्ट अनुसार प्रोपर हो चुकी है। बाद तामील सूचना अनुपस्थित है इसलिए

एकतरफा की जाती है एवं वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई एवं उक्त प्राथमिक डिक्री की बिना सूचना दिए बिना अंतिम डिक्री के नोटिस जारी किए दिनांक 3.12.2024 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 136/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.12.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. अभिभाषक अपीलांत ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ, न ही अपीलार्थी को वाद की सूचना दी गई, अपीलार्थी को सर्वप्रथम प्रकरण की जानकारी दिनांक 9.1.2025 को हुई अपील प्रस्तुती हेतु दिनांक 3.12.2024 से 3.2.2025 की मियाद निर्धारित थी, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 9.1.2025 को नकल लेकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया तो अधिवक्ता द्वारा उस आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की सलाह दी इस पर दिनांक 13.1.2025 को अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.3.2025 को खारिज फरमा दिया गया जिसकी नकल अपीलार्थी को दिनांक 20.3.2025 को सायं को प्राप्त हुई, दिनांक 21,22,23 का अवकाश था, दिनांक 24.3.2025 को अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया तो वर्तमान अधिवक्ता ने अवगत कराया की आप अपील प्रस्तुत करे इस पर उसी दिन दिनांक 24.3.2025 को अपील तैयार करवाई जाकर आज प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुती में हुई देरी उचित विधि सलाह के अभाव में हुई है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।
5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थनापत्र की चरण सं. 01 में वर्णित कथन जिस प्रकार अंकित किये गये है, में अपील प्रस्तुति के कथनों से इंकारी नहीं है, परन्तु ठोस आधारों पर प्रस्तुत किये जाने के कथन गलत व आधारहीन होने से अस्वीकार है। अपीलार्थी द्वारा आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 07-11-2024 से पूर्व के तामिल के सम्बन्ध में लिये गये समस्त आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18-03-2025 के आदेश से निर्णित कर अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है, जिसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा उत्तरकर्ता प्रत्यार्थी की जानकारी में नहीं की गई है। यह विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि एक बार जहाँ आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के स्तर पर सुना जा चुका हो तो वह उसे नहीं सुने जाने का आधार पुनः नहीं ले सकता है। इसलिये पुनः अपील में उन तथ्यों को आक्षेपित करना प्रांग न्याय के सिद्धान्त से विबन्धित है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील कोई स्पष्ट व ठोस आधार नहीं होने से अपीलार्थी की अपील ही चलने योग्य नहीं है। प्रार्थनापत्र की चरण सं. 02 में वर्णित कथन जिस प्रकार अंकित किये गये है, गलत होने से अस्वीकार है। अपीलार्थी को मूल वाद की सूचना तामिल रजिस्टर में इन्द्राज कमांक 916 दिनांक 25-09-2024

के द्वारा जरिये डाक प्रेषित की गई थी, जिसकी तामिल दिनांक 08-10-2024 को अपीलार्थी को हो गई थी। अपीलार्थी द्वारा दावें में उल्लेखित स्वयं पते के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को वाद की पूर्ण जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। जिसके बावजूद भी अपीलार्थी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलार्थी को दिनांक 09-01-2025 को किससे व कैसे प्रकरण के बारे में जानकारी हुई यह भी इस चरण में उल्लेखित नहीं किया है, जो अपूर्ण व बेबुनियाद होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। केवल कोई भी दिनांक अंकित कर दिया जाना धारा 5 मर्यादा अधिनियम की मंशा को पूर्ण नहीं करता है। अपीलार्थी द्वारा आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के सम्बन्ध में कार्यवाही के कथन न्यायालय के अभिलेख के अनुसार इंकारी नहीं है। परन्तु यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र को दिनांक 18-03-2025 को खारिज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने माना है कि अपीलार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अनुचित मंशा स्पष्ट प्रकट होती है। उक्त आदेश को अपीलार्थी द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। उक्त चरण में अधिवक्ता के सम्बन्ध में वर्णित कथनों का अपीलार्थी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में स्वयं की लापरवाही व जानबूझकर विलम्ब कारित किया है। यह स्पष्ट विधि है कि पक्षकार को स्वयं जागरूक रहना आवश्यक है। वह स्वयं की उपेक्षा का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसको क्षमा किये जाने का कोई स्पष्ट कारण प्रार्थनापत्र में अंकित नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5- When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.

चूंकि अपीलांत द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते हैं। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांत का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांत का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांत द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रथम बार में तामिल न्यायालय द्वारा

भिजवाई जायेगी एवं तामिल नहीं होने की स्थिति में ही चस्पानगी, रजिस्टर्ड डाक या अखबार प्रकाशन करवाया जायेगा एवं वह भी न्यायालय के आदेश से, परन्तु दिनांक 25.9.2024 को रजिस्टर्ड डाक से तामिल जारी करने के कोई आदेश पारित नहीं हुये परन्तु वकील वादी द्वारा तामिल के नोटिस जो न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिये जाने थे वकील वादी को दे दिये गये एवं वकील वादी द्वारा दूदू से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद के नाम से भिजवा दिये गये, बिना न्यायालय के आदेश के उक्त प्रकार करवाई गई तामिल प्रोपर तामिल नहीं है, न ही उक्त नोटिस कभी अपीलार्थी को प्राप्त हुये बल्कि डाक कर्मियों से मिली भगत करके वादी ने ही जिस प्रकार न्यायालय से नोटिस प्राप्त कर लिये थे उसी प्रकार अपने किसी व्यक्ति को नोटिस दिलवाकर वादी का नाम लिखवा दिया गया इस प्रकार की तामिल प्रोपर तामिल नहीं है एवं उक्त तामिल के आधार पर अपीलार्थी की एकतरफा कार्यवाही करते हुये पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री विधि के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी आराजीयात का खातेदार काश्तकार है जबकि रेस्पोजेन्ट अजनबी क्रेता है प्रस्तुत प्रकरण में अजनबी क्रेता द्वारा मूल खातेदार के विरुद्ध विशिष्ट भूभाग पर कब्जा दर्शाते हुये नजरी नक्शा बनाकर दावा डिक्री करवाया है जो विधि के पूर्णतया विपरित है। अजनबी क्रेता को बिना विभाजन आराजीयात में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का कहीं पर कोई कब्जा नहीं था। इसलिये उक्त निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। जब अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 की एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं बिना साक्ष्य लिये ही बिना दस्तावेजों के प्रदर्शित करवाये प्रश्नगंत निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 7.11.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं बिना अन्तिम डिक्री के लिये कोई सूचना अपीलार्थी को दिये गये दिनांक 3.12.2024 को अंतिम डिक्री जारी कर दी गई जिसकी सूचना न तो अपीलार्थी को दी गई न ही अपीलार्थी से आपत्ति मांगी गई, उक्त डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 136/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.12.2024 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 7.11.2024 को पारित की गई जिसकी पालना में तहसीलदार मौजमाबाद ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/8083 दिनांक 29.11.2024 के द्वारा विभाजन योजना एवं नक्श ट्रेस प्रेषित की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्राप्त विभाजन योजना को स्वीकार फरमाई जाकर अंतिम डिक्री जारी किए जाने की ईस्तदुआ की गई। पत्रावली व प्राप्त विभाजन योजना का निरीक्षण किया गया। प्राप्त विभाजन योजना को स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित होने से तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत की गई विभाजन योजना को स्वीकार किया जाकर आदेश दिए गए कि राजस्व ग्राम पालूकलां पटवार मण्डल पालूकलां तहसील मौजमाबाद स्थित खाता संख्या 629 संवत 2075-2078 में दर्ज आराजी ख0न0 435 रकबा 2.3269 है0 कुल कित्ता 01 का कुल रकबा 2.3269 है0 लगान 11.49 का विभाजन योजना के आधार पर किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत

सी0जे0 2018(आर0सी0)हाई0कोर्ट0 137, आरआरटी 2017(1)एच0सी0 711, आरआरटी 2015(1)एच0सी0 232, आरबीजे (15) 2008 आरबी 526, आरआरटी 2021(2)आरबी 858(डी0बी0), आरबीजे 2012 (19) आर0बी0 152(डी0बी0), आरबीजे 2002(9) एच0सी0 198, आरबीजे 2016 आरबी 393 पेश किए।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। उक्त प्रकरण में वर्तमान अपीलांत अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 7.11.2024 को स्वीकार किया जाकर निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय के पश्चात प्रकरण में दिनांक 3.12.2024 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 3.12.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांत द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांत द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सम्यक नोटिस तामील के अपीलांत के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। दिनांक 7.11.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं बिना अंतिम डिक्री के लिए कोई सूचना अपीलार्थी को दिए ही दिनांक 3.12.2024 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गई। जबकि अपीलांत उक्त विवादित आराजीयात का रिकार्ड खतेदार है अतः साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान किए बिना उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह तथ्य दृष्टिगत होते हैं कि विवादित आराजीयात राजस्व ग्राम पालूकलां तहसील मौजमाबाद की जमाबंदी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 629 में आराजी नम्बर 435 रकबा 2.3269 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.3269 भूमि अपीलांत व वर्तमान रेस्पोंडेंटस के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि की आराजीयात है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 6 उपस्थित हुए व उनके द्वारा उक्त आराजीयात का विधिवत रूप से बंटवारा किया जाने पर उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है इस बाबत उनके द्वारा अपने जवाब दावे में इस बात की पुष्टि की गई। वर्तमान अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि अपीलांत को उक्त आदेश की भली भांति जानकारी थी। अपीलांत को मूल वाद की सूचना तामील रजिस्टर में इंद्राज क्रमांक 916 दिनांक 25.9.2024 के द्वारा जरिए डाक प्रेषित की गई थी जिसकी तामील दिनांक 08.10.2024 को अपीलांत को हो गई थी। अपीलांत द्वारा जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए उक्त नोटिस अपीलांत को सम्यक रूप से प्रोपर तामील हुए हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उनके विरुद्ध विधिसम्मत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांत को जब नोटिस की जानकारी हो गई थी तो उनका यह दायित्व था कि वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते पर उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांत द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रार्थना पत्र के निर्णय में यही माना है कि

अपीलांट को नोटिस की तामील जरिए रजिस्टर्ड एडी की गई थी व तामील प्रोपर/सम्यक रूप से हुई थी, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाए जाने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को दिनांक 18.3.2025 को खारिज किया गया। *चूंकि जब एक बार आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत आवेदन खारिज हो जाता है तो प्रथम अपील में यह आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है कि अपीलार्थी को गुणावगुण पर नहीं सुना गया था।*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 7.11.2024 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई जिसकी पालना में तहसीलदार मौजमाबाद ने दिनांक 29.11.2024 के द्वारा विभाजन योजना एवं नक्शा ट्रेस प्रेषित किया। उभयपक्षों द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 3.12.2024 को अंतिम डिक्री पारित किए जाने के आदेश पारित किए गए तथा तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत की गई विभाजन योजना अनुसार राजस्व ग्राम पालूकलां तहसील मौजमाबाद की जमाबंदी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 629 में आराजी नम्बर 435 रकबा 2.3269 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.3269 है0 विभाजन प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण में दिनांक 3.12.2024 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित किए जाने के आदेश दिए गए। जो कि उचित है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया है। अपीलांट अपनी अपील के माध्यम से यह कहीं पर भी साबित नहीं कर पाए है कि उक्त निर्णय व डिक्री में किस प्रकार की त्रुटि कारित हुई है या उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में किसी पक्षकारान का हक व हिस्सा कम या ज्यादा किया गया हो। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से उठाए गए उज्रों को वह न्यायालय हाजा के समक्ष साबित कर पाने में विफल रहे है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विस्तृत विवेचन करते हुए पारित किया गया है, व उक्त निर्णय में उनके द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से उक्त अपील खारिज योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 136/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.12.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर